राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 748/2011/नागौर

भंसाली स्टोर्स,
लाडनू, नागौर। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, नागौर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अरिंजय जैन,
अधिवक्ता। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/03/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 208/09–10/नागौर में पारित आदेश दिनांक 18.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, नागौर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत् आरोपित मांग राशि रूपये 2,910/– को यथावत् रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी राज्य में एक पंजीकृत व्यापारी है, तथा वह राज्य अन्दर व राज्य बाहर से माल के क्रय–विक्रय का कार्य करता है, उसके द्वारा कम्पोजिशन योजना का ऑप्शन लिया गया था, परन्तु उनके द्वारा राज्य के बाहर से माल मंगवाने के पश्चात् बताया गया कि उनके द्वारा कम्पोजिशन का ऑप्शन गलती से ले लिया गया था, अतः उन्होंने पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन करवाकर वैट–10 विभाग में पेश करके उनकी बिक्री 51,556/– रूपये दर्शायी गई, जिसमें से 20,241/– की बिक्री 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य तथा शेष राशि 31,315/– की कर मुक्त दर्शायी गई, परन्तु उस कर मुक्त बिक्री के सबूत पेश नहीं किये, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने उस बिक्री को कर योग्य बिक्री मानते हुए उस पर कर राशि रूपये 1,253/–, ब्याज 364/–, एवं अलग–अलग शास्ति राशि रूपये 500–500 कुल मांग राशि रूपये 2,910/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष किये जाने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2011 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त पारित आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने पूर्ण रूप से जांच किये बिना ही कर मुक्त बिक्री को कर योग्य बिक्री मानते हुए अविधिक रूप से कर ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। उन्होंने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पहले कम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन भरा गया था, परन्तु बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास होने के कारण उन्होंने ऑप्शन वापस लेते हुए त्रैमासिक विवरण प्रपत्र वैट–10 विभाग में जमा करवाया, अब चूंकि कम्पोजिशन स्कीम के तहत् वैट–10 जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः अपीलार्थी व्यवहारी को ऑप्शन फॉर्म निरस्त करने के पश्चात् वैट–10 जमा करवाने हेतु पर्याप्त समय मिलना चाहिए था, जो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया गया। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर कर कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा पहले कम्पोजिशन स्कीम का ऑप्शन लिया गया था, परन्तु बाद में उन्होंने उसे बदलकर विवरण प्रपत्र वैट–10 प्रस्तुत किये, जो कि देरी से प्रस्तुत होने के कारण उन पर आरोपित शास्ति विधिक है। उन्होंने कथन किया कि अपलार्थी व्यवहारी द्वारा की गई बिक्री राशि रूपये 31,315/– के कर मुक्त होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के दौरान कुल बिक्री राशि रूपये 51,556/– की दर्शायी गई, जिसमें से राशि रूपये 20,241/– की बिक्री 4 प्रतिशत से कर योग्य एवं शेष राशि रूपये 31,315/– की कर मुक्त दर्शायी गई। इस कर मुक्त बिक्री के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सबूत मांगे जाने पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किये गये। इस बिक्री के कर मुक्त होने के प्रमाण अपीलार्थी व्यवहारी की लेखा पुस्तकों से भी नहीं मिले है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस अपील के संबंध में कोई नया बिन्दु पेश नहीं किया एवं ना ही उक्त बिक्री के कर मुक्त होने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण अपीलीय आदेश यथावत् रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य